भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1796

29 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

पीडीएस के राज्य कोटे में कमी/किल्लत

1796. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राज्यों को चावल और गेहूं के आवंटन में कमी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आवश्यक खाद्य सुरक्षा सहायता में कटौती करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या कई राज्यों ने दालों, चीनी और खाद्य तेल सहित पीडीएस वस्तुओं की किल्लत की सूचना दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बढ़ते जन संकट को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार जनसंख्या वृद्धि और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के निश्चित कवरेज के बीच असंतुलन से अवगत है जिसके कारण प्रति व्यक्ति आवंटन में कमी आई है और यदि हां, तो अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर लाभार्थी सीमाओं में संशोधन नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल के वर्षों में खरीद संबंधी बाधाओं के कारण गेहूं के आवंटन में कटौती की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कमी वाले राज्यों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने स्टॉक के असंतुलन के कारण गेहूं के बजाय चावल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है और यदि हां, तो राज्यों में पोषण संबंधी विविधता और क्षेत्रीय उपभोग प्राथमिकताओं पर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का कुल आवंटन लगभग अपरिवर्तित रहा है। रबी विपणन सत्र (आरएमएस) वर्ष 2022-23 के दौरान गेहूं की कम खरीद के कारण, विभाग ने केंद्रीय पूल में गेहूं की उपलब्धता के आधार पर कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और टाइड ओवर श्रेणियों के अंतर्गत गेहूं-चावल अनुपात में अस्थायी संशोधन किया। लाभार्थियों की कुल खाद्यान्न पात्रता में कोई कमी किए बिना, पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन किया गया था।

.....2/-

(ख): वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से केवल गेहूं, चावल और मोटे अनाज का वितरण किया जाता है और किसी भी राज्य ने इन खाद्यान्नों की कमी की सूचना नहीं दी है।

(ग): अधिनियम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का आवंटन तत्कालीन योजना आयोग द्वारा निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार जनसंख्या कवरेज के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभार्थियों की पहचान और अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित खाद्यान्न पात्रता के आधार पर किया जाता है, अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम।

एनएफएसए के तहत 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है, इस प्रकार देश की कुल आबादी के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। अधिनियम के तहत कवरेज काफी अधिक है ताकि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके।

अधिनियम की धारा 9 में यह प्रावधान है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शामिल किए जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या की गणना जनगणना के अनुसार जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की जाएगी, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। राज्य अपने लाभार्थी डेटाबेस को अद्यतन करते हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटाए जा सकें और योग्य लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके।

(घ) एवं (ङ): भाग (क) के उत्तर में दर्शाए अनुसार, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गेहूं-चावल अनुपात में संशोधन गेहूं की कम खरीद के कारण आवश्यक हो गया था और यह पीडीएस के तहत खाद्यान्नों के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, जिसमें एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की समग्र खाद्यान्न पात्रता में कोई कमी नहीं की गई थी। केंद्रीय पूल में गेहूं की उपलब्धता में सुधार के साथ, पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी 2026 से गेहूं का आवंटन बहाल कर दिया गया है। गेहूं-चावल अनुपात में संशोधन केंद्रीय पूल में गेहूं की खरीद और उपलब्धता के आधार पर एक परिचालन उपाय था और यह गेहूं से चावल वितरण की ओर किसी भी नीतिगत बदलाव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
